नगर परिषद ऊना जिला ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।

अवधि 04/2012 से 03/2015

भाग–एक

1 **(क) प्रारम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव, वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)–खण्ड–iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद ऊना, जिला ऊना के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण एंव वितरण अधिकारी के पद पर निम्नलिखित प्रधान व कार्यकारी अधिकारी कार्यरत रहे :–

<u>प्रधान</u>

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती ममता कश्यप	01.04.2012 से 31.03.2015

कार्यकारी अधिकारी

1.	श्री सुधीर कुमार शर्मा	01.04.2012 से 23.4.2012
2.	श्री विजय कुमार शर्मा	24.4.2012 से 20.5.2013
3.	श्री महेश दत्त शर्मा	23.5.2013 से 10.12.2013
4.	श्री सुरेश कुमार शर्मा (तहसीलदार)	9.1.2014 से 20.1.2014
5.	श्री राज कुमार ठाकुर (तहसीलदार)	29.1.2014 से 2.7.2014
6.	श्री राज कृष्ण शर्मा	3.7.2014 से 28.7.2014
7.	श्री संजय कुमार	30.7.2014 से 31.3.2015

(ख) नगर परिषद ऊना जिला ऊना के लेखाओं अंकेक्षण अवधि 04/2012 से 03/2015 में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
1.	दिनांक 31.3.2015 तक अनुदान राशि व्यय हेतु शेष	5.1	327.72
2.	उपायुक्त ऊना से प्राप्त अनुदान राशियों का अधिक व्यय करना	5.2	1.00

3.	स्वीकृत बजट से राशि का अधिक व्यय	5.3	186.11
4.	दिनांक 31.3.2015 तक अस्थाई अग्रिमों की राशि का समायोजन न करना	6	4.02
5.	NRY योजना के अन्तर्गत Shelter upgradation स्कीम के लाभार्थियों से वसूली शेष	7	0.89
6.	अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी अग्रिम राशि का समायोजन न करना	8	0.24
7.	दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर की राशि वसूली हेतु शेष	9.1	32.50
8.	गृहकर में अनाधिकृत तरीके से छूट देने के कारण राजस्व की हानि	9.1.1	4.67
9.	दिनांक 31.3.2015 तक दुकान/स्टालों के किराए की वसूली शेष	9.2	29.25
10.	दिनांक 31.3.2015 को कार पार्किंग के किराए की वसूली शेष	9.2.1	0.52
11.	दूर संचार कम्पनियों के मोबाईल टावरों की स्थापना व नवीनिकरण शुल्क की वसूली शेष	9.3	1.01
12.	नवनिर्मित दुकानों एवं हॉल के किराए पर न देने के फलस्वरूप राजस्व की हानि	9.6	22.54
13.	टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग शुल्क की राशि राजकोष में जमा न करवाने बारे	10	86.46
14.	विवाह पंजीकरण शुल्क राजकोष में जमा न करवाना	11	0.07
15.	पैन्शन एण्ड ग्रेच्यूटी निधि में राशि का अनियमित हस्तांतरण करना	12.1	10.65

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **''परिशिष्ठ–क''** पर दर्शाई गई है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही करनी सुनिश्चित करें व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :—

नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2015 तक का वर्तमान अंकेक्षण सर्व श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी, राज कुमार अनुभाग अधिकारी जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक, सुशील कुमार आर्टीकल असिस्टैन्ट द्वारा दिनांक 16.11.2015 से 19.12.2015 तक ऊना में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु क्रमशः माह 3/2013, 3/2014, 3/2015 व माह 5/2015, 1/2014, 11/2014 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

"The Audit report has been prepared on the basis of information furnished and made availbable by the controlling officer of the institution.The office of Local Audit Department disclaims any responsibility for any misinformation or non information on the part of auditee".

3 अंकेक्षण शुल्क :—

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2015 के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹80,000 आंका गया है। अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 221/2015 दिनांक 19.12.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला—9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना से अनुरोध किया गया।

4 <u>वित्तीय स्थिति</u> :—

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 04/2012 से 03/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट—"ख"** पर भी संलग्न है।

क्र0 सं0	वर्ष	2012—13	2013—14	2014—15
1)	प्रारम्भिक शेष	2,67,76,119.98	3,00,08,986.03	3,34,97,339.31
2)	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान राशि	2,83,12,850.00	2,11,24,075.00	3,68,34,878.00
3)	वर्ष के दौरान स्वयं स्त्रोतों से प्राप्त आय	1,97,20,616.05	1,40,14,172.28	1,61,52,642.96
4)	प्राप्त कुल राशि	7,48,09,586.03	6,51,47,233.31	8,64,84,860.27
5)	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	4,48,00,600.00	3,16,49,894.00	3,04,03,197.00
6)	अन्तशेष राशि	3,00,08,986.03	3,34,97,339.31	5,60,81,663.27

1.	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तशेष		5,60,81,663.27
2.	दिनांक 31.3.2015 को बैंक में जमा राशि :–		
	(i) बचत खातों तथा सावधि जमा में राशि (पैरा 4.1)	5,61,05,221.27	5,61,05,221.27
	अन्तर राशि		23,558.00

<u>अन्तर का समाधान</u>

1)	दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ बही में दर्ज व्यय के चैक जो भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए	(+) 99,001.00
2)	चैक संख्या 727215, दिनांक 30.1.2006 जो चोरी किया गया है तथा जिसके विरूद्व एफ0आई0आर0 502 दिनांक 14.11.2006 दर्ज है।	(–) 75,220.00
3)	बैंक प्रभार जो रोकड़ बही में दर्ज नहीं किए गए	

दिनांक	राशि	
2.3.2015	135	(–) 223.00
31.3.2015	88	23,558.00
	223	

4.1 नगर परिषद ऊना के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.2015 को अन्तशेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1)	सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ऊना	1420103692	2,01,23,369.56
2)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ऊना	1420108975	31,93,658.00
3)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ऊना	1420055397	1,065.00
4)	के0सी0सी0 बैंक ऊना	20013032429	13,10,631.00
5)	के0सी0सी0 बैंक ऊना	20013034833	37,41,876.00
6)	के0सी0सी0 बैंक ऊना	20013012231	53,17,307.00
7)	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100009131	62,303.65
8)	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100001591	56,674.00
9)	हिमाचल ग्रामीण बैंक ऊना	88610100000929	8,03,935.00
10)	पंजाब नैशनल बैंक ऊना	3353000100197769	21,92,436.00
11)	पी0एल0ए0	8448	9,534.00
12)	आई0डी0बी0आई0 बैंक ऊना	703104000003346	2,33,123.00
13)	एक्सिस बैंक ऊना	911010041611777	79,028.00

14)	सिन्डीकेट बैंक ऊना	89032210000050	56,466.05
15)	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ऊना	55064742779	1,35,27,485.47
16)	सिन्डीकेट बैंक ऊना के सावधि जमा खाता संख्या एस0बी0एच0 अवधि 18.6.2014 से 18.6.2015 में जमा राशि	597939	53,96,329.54
		योग	**5,61,05,221.27**

4.2 पी0एल0ए0 खाता संख्या 8448 में दिनांक 31.3.2015 को ₹9534 की राशि दर्शाई गई है परन्तु उक्त खाता जाँच हेतु उपलब्ध नही करवाया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5 अनुदान :–

नगर परिषद ऊना के अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2015 तक अनुदान राशि की वितीय स्थिति निम्नलिखित है। नगर परिषद ऊना को प्राप्त अनुदान राशि का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट–"iii"** में भी दिया गया है।

क्र0 सं0	वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15
1)	प्रारम्भिक शेष	1,22,59,486.44	1,28,87,345.44	1,43,02,925.44
2)	वर्ष के दौरान प्राप्त कुल अनुदान राशि	2,83,12,850.00	2,11,24,075.00	3,68,34,878.00
3)	कुल प्राप्त राशि	4,05,72,336.44	3,40,11,420.44	5,11,37,803.44
4)	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	2,76,84,991.00	1,97,08,495.00	1,83,71,874.00
5)	अन्तशेष	1,28,87,345.44	1,43,02,925.44	3,27,71,556.44

5.1 दिनांक 31.03.2015 तक अनुदान राशि ₹327.72 लाख व्यय हेतु शेष :–

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशियों में से राशि ₹3,27,71,556 अनुपयोगी पड़ी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"iv" से "xix"** में दिया गया है। अनुदान राशियों को प्रस्तावित उद्देश्य हेतु उसी वित्तीय वर्ष में उपयोग किया जाना अपेक्षित था जिस वर्ष मे इन्हें प्राप्त किया गया था। अतः अनुपयोग अनुदान राशियों का समय पर उपयोग न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुपयोग अनुदान राशि को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात उन्हीं उद्देश्यों हेतु जिन हेतु यह राशि प्राप्त हुई थी व्यय की जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए।

5.2 उपायुक्त ऊना से प्राप्त अनुदान राशियों से ₹1.00 लाख का अधिक व्यय करना

निम्न कार्यों के लिए उपायुक्त ऊना से अनुदान राशियाँ प्राप्त की गई थी परन्तु इन कार्यों पर प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक राशि का व्यय किया गया नियमानुसार इस प्रकार के कार्यों पर प्राप्त अनुदान राशि से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता था। अतः व्यय की गई अधिक राशि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्बन्धित निधि में जमा करवाई जाए।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुदान राशि से अधिक व्यय
1)	Restoration of Campus in front of Bachat Bhawan	41,436
2)	Provision of Pantry to the P.A. Room D.C. Office Una	4,605
3)	Flood protection work to the D.c. Residence Una	54,306
	Total	**₹1,00,347**

5.3 स्वीकृत बजट से राशि ₹186.11 लाख का अधिक व्यय

नगर परिषद ऊना के लेखाओं अवधि 4/2012 से 3/2015 तक का स्वीकृत बजट तथा व्यय की गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :—

वर्ष	स्वीकृत बजट	वास्तविक व्यय	अन्तर
2012—13	2,74,62,000	4,48,00,600	1,73,38,600
2013—14	3,03,77,600	3,16,49,894	12,72,294
2014—15	3,31,21,000	3,04,03,197	—
		योग	**₹1,86,10,894**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नगर परिषद ऊना द्वारा वर्ष 2012—13 तथा 2013—14 के दौरान बजट की राशि से ₹1,86,10,894 का अधिक व्यय किया गया। अधिक व्यय का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम अधिकारी से नहीं ली गई थी। अतः म्युनिस्पिल एक्ट 1994 के नियम 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग का अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त करके व्यय को नियमित करवाना सुनिश्चित करें।

6 दिनांक 31.3.2015 तक अग्रिमों की राशि ₹4.02 लाख का समायोजन न करना

नगर परिषद ऊना द्वारा निम्न विभागों को विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु अस्थाई अग्रिमों की राशियां प्रदान की गई थी। इन अग्रिम राशियों में से प्रत्येक विभाग के सामने दर्शाई गई राशि दिनांक 31.3.2015 तक असमायोजित थी। अतः असमायोजित राशि ₹4,02,482 के समायोजन हेतु

उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए यदि यह कार्य पूर्ण हो चुके हो तो शेष राशि की वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं तथा वसूल की गई राशि को सम्बन्धित निधि में जमा करवाया जाए।

क्र0 सं0	विभाग का नाम	मास	उद्देश्य	राशि
1)	SDO Electricity Sub Division No.1 Una	4/74	Installation of new points in Moh. Ohrian	66.00
2)	SDO Electricity Board Una	6/74	Installation of street Light points	243.00
3)	SDO Electricity Sub Division No. 1 Una	6/74	Installation of Street Light points in the park near Rest House	1,008.00
4)	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/75	Installation of Street Light Points	189.00
5)	Executive Engineer HPSEB Divison Una	6/82	Installation of Street Light Points	12,632.00
6)	Asstt. Executive Engineer HPSEB Sub Division Una	12/82	Installation of Street Light points near Indira ground Moh. Khadpur Una	751.00
7)	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/83	Installation of 10 Nos Street Light points in M.L. Area	3478.00
8)	Executive Engineer HPSEB Division No. Una	6/87	Installation of 24 Nos additional street light points	21,759.00
9)	Executive Engineer Una Division HPPWD(B&R) Una	5/88	c/o Boundry wall to working women hostel at Una	39,528.00

10)	Executive Engineer HPSEB Division Una	5/88	Installation of 23 Nos Light points	6,568.00
11)	Executive Engineer HPPWD (B&R) Una	5/88	C/o Working Women Hostel at Una	2,42,670.00
12)	Executive Engineer HPSEB Division Una	2/91	Installation of 36 Nos street light points	25,000.00
13)	Executive Engineer HPSEB Div. Una	4/91	Installation of 36 Nos. street light points	39,924.00
14)	Executive Engineer HPSEB. Una	9/94	Installation of 4 Nos street light points	8,666.00
			Total	**₹4,02,482.00**

7 NRY योजना के अन्तर्गत Shelter Upgratation स्कीम के लाभार्थियों से ₹0.89 लाख की वसूली शेष

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना द्वारा उपलब्ध सूचना **(परिशिष्ट–"XX")** के अनुसार दिनांक 31.3.2015 तक NRY योजना के अधीन Shelter Upgradation के लाभार्थियों से ₹89,180 की वसूली शेष थी। अतः राशि को सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल करना सुनिश्चत करें।

8 अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी अग्रिम राशि का समायोजन न करना

नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2015 तक विभिनन कार्यों/उद्देश्यों हेतु कर्मचारियों को अग्रिमों की राशि ₹24,000 जारी की गई थी जिसका समायोजन दिनांक 31.3.2015 तक नहीं किया गया तथा इस बारे अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 201, दिनांक 23.11.2015 तथा अनुस्मारक संख्या 126, दिनांक 9.12.2015 द्वारा यह प्रकरण कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में उचित कार्रवाई हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अग्रिम राशियों को समायोजन न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इन राशियों का शीघ्र समायोजन किया जाए।

क्र0 सं0	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	मास	उद्देश्य	राशि
1)	श्री राजेन्द्र कुमार	4/06	To meet the Expenditure for	7,000

	कनिष्ठ अभियन्ता		inauguration of shopping Complex at Arvind Market.	
2)	श्री कर्म सिंह, लिपिक	11/13	For Celebration of Som Bhadra festival	5,000
3)	श्री अनिल कुमार शर्मा, लिपिक	7/14	For purchase of senitation itams	2,000
3)	श्रीमती मन्जू बाला, लिपिक	(i) 8/14	For purchase of postage stamps	2,000
		(ii) 3/15	For publication of Case MC. Una V/s Shraya Chanana	8,000
			Total	**₹24,000**

9 आय

9.1 दिनांक 31.3.2015 तक गृहकर की राशि ₹32.50 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि दिनांक 31.3.2015 को गृहकर के रूप में ₹32,49,573 की विभिन्न कारदाताओं/भवन मालिकों से वसूल की जानी थी जिसका विवरण **परिशिष्ट–"XXI"** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 87(i) के अन्तर्गत यदि नगर पंचायत/परिषद को देय कर समय पर प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में टी0एस0 10(ए) में पूर्ण सूचना तैयार करके नगर परिषद के समक्ष आगामी कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित था तथा दोषी कारदाताओं के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी लेकिन काफी लम्बे समय से करों का भुगतान न करने वाले करदाताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जिसके परिणामस्वरूप कर वसूली की शेष राशि में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। अतः इस राशि की वसूली हेतु शीघ्र नियमानुसर आवश्यक/उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1.1 गृहकर में अनाधिकृत तरीके से छूट देने के कारण राशि ₹4.67 लाख के राजस्व की हानि

गृहकर आय की जांच करने पर पाया गया कि नगर परिषद ऊना द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान गृहकरदाताओं को छूट के रूप में राशि ₹4,66,584 का अनुचित लाभ दिया गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान प्रस्ताव/कार्यवाही रजिस्टर में गृहकर छूट से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव मौजूद नहीं था। अतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना गृहकर संग्रहकर्त्ता कर्मचारी द्वारा अपने स्तर पर ही अनाधिकृत तरीके से गृहकर में 20% की छूट प्रदान की गई इस अनियमितता को कार्यकारी अधिकारी के ध्यान में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 129,

दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से लाया गया। लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त अधियाचना का कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त गृहकर छूट को नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी से राशि ₹4,66,584 की वसूली करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि नगर परिषद निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.1.2 ₹1000 गृहकर की कम वसूली

श्रीमती राम प्यारी से रसीद संख्याः 54/104, दिनांक 23.3.2015 के अन्तर्गत ₹3,024 गृहकर की वसूली की गई परन्तु उनके खाते में ₹2,024 की राशि दर्शाई गई तथा बैंक में जमा करवाई गई इस प्रकार ₹1000 की राशि बैंक में कम जमा करवाई गई। आपत्ति उपरान्त ₹1000 की वसूली रसीद संख्याः 53/134, दिनांक 18.12.2015 द्वारा अंकेक्षण के दौरान कर ली गई है जिसकी पुष्टि कर ली गई।

9.1.3 राकेश अग्निहोत्री के भवन (वार्ड नम्बर 2) के गृहकर के निर्धारण बारे

प्रस्ताव संख्या 677(क), दिनांक 13.7.2005 के अनुसार श्री राकेश अग्निहोत्री के भवन (दो मंजिलों) की कुल लागत ₹14,92,635 व गृहकर ₹19,341 आंका गया व तदानुसार वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक गृहकर मांग रजिस्टर के क्रम संख्या 720 पर राशि ₹58,023 दर्ज थी भवन के मालिक द्वारा 29.3.2011 को आवेदन किया कि उसने दो मंजिलों में से एक मंजिल ₹4000 प्रति माह किराए पर अपनी पत्नी श्रीमती सुनीता अग्निहोत्री को दी है व गृहकर की Self assessment वर्ष 2007–08 से ₹12,678 की जाए जिसे नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या 143 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी व उपरोक्त गृहकर की मांग 2007–08 से 2011–12 तक ₹19,341 की जगह ₹12,678 की जाए, जिसे नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव संख्या5 143 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कर दी है व उपरोक्त गृहकर की मांग 2007–08 से 2011–12 तक ₹19,341 की जगह ₹12,678 वार्षिक कर दी गई। जोकि निम्नानुसार अनुचित है क्योंकि

(1) सर्वेक्षण कर्मचारी की रिपोर्ट के मुताबिक दिनांक 2.3.2010 को भवन दो मन्जिला न होकर चार मन्जिला था। जिसमें प्रथम मन्जिल में स्वयं का क्लीनिक, द्वितीय मन्जिल में भी क्लीनिक, तृतीय मन्जिल में रिहाईश व चौथी मन्जिल किराए पर दी गई थी।

(2) वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक प्रार्थी से प्रतिवर्ष 19,341 की दर से गृहकर की मांग की गई थी तब प्रार्थी द्वारा 2007–08 में क्यों नहीं बताया कि उसने अपनी पत्नी को एक मन्जिल ₹4000 प्रति माह किराए पर दी थी।

(3) अभिलेख में सर्वेक्षण कर्मचारी की वास्तविक तथ्यों पर आधारित रिपोर्ट को स्वीकार न करने कोई भी कारण उल्लेखित नहीं पाया गया।

(4) भवन 4 मन्जिलां होने पर भी गृहकर का निर्धारण गत 5 वर्षों से दो मन्जिला हेतु करना अनुचित प्रतीत होता है। अतः उक्त भवन जोकि सर्वेक्षण कर्मचारी की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 2.3.2010 से चार मन्जिला है, के गृहकर का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2014–15 हेतु पुनः किया जाए व तदानुसार गृहकर की बकाया राशि की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.2 दिनांक 31.3.2015 तक दुकानों/स्टालों के किराए की राशि ₹29.25 लाख की वसूली शेष

नगर परिषद ऊना द्वारा किराए पर दी गई दुकानों/स्टालों के किराए की राशि ₹29,24,520, दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष थी। कार्यकारी अधिकारी द्वारा किराया वसूली हेतु कोई भी नोटिस जारी नहीं किए गए थे। अतः हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के दिए गए प्रावधानों के अनुसार दुकानदारों को नोटिस जारी किए जाएं तथा नियम 258 के उप नियम (2) व (3) के प्रावधानों के अनुसार किराया न देने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए। लम्बित किराया राशि का विवरण **परिशिष्ट–"XXII"** पर संलग्न है।

9.2.1 अरविन्द मार्किट ऊना की कार पार्किंग के किराय राशि ₹0.52 लाख की वसूली शेष

अरविन्द मार्किट ऊना में नवनिर्मित कार पार्किंग की नीलामी ₹13000 प्रति माह की दर से श्री कृष्ण गोपाल को दिनांक 20.9.2012 को की गई। श्री कृष्णगोपाल के पास कार पार्किंग दिनांक 20.9.2012 से 28.2.2013 तक प्रति माह ₹13000 किराए पर रही है, परन्तु उन्होंने 4 मास का किराया ₹52000 नगर परिषद को अदा नहीं किया है, जिसकी वसूली अविलम्ब सुनिश्चित की जाए।

9.3 दूर संचार कम्पनियों के मोबाईल टावर स्थापना व नवीनिकरण शुल्क की राशि ₹1.01 लाख की वसूली शेष

नगर परिषद ऊना द्वारा उपलब्ध विवरण **(परिशिष्ट–"XXIII")** अनुसार नगर परिषद परिक्षेत्र में मोबाईल कम्पनियों द्वारा लगाए गए टावरों की स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹1,01,250, दिनांक 31.3.2015 तक वसूली हेतु शेष थी। अतः इस की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए शेष राशि की शीघ्र वसूली हेतु उचित कार्रवाई की जाए।

9.4 विद्युत उपभोग कर की वसूली न करने बारे

नगर परिषद द्वारा एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत उपभोग कर की वसूली विद्युत विभाग से की जानी थी। लेखा परीक्षा में पाया गया कि 4/2012 से 3/2015 तक विद्युत

उपभोग कर की वसूली नहीं की गई जिसकी वसूली शीघ्र की जाए व अनुपालना आगामी लेखा परीक्षा में दिखाई जाए।

9.5 शराब कर की वसूली न करना

नगर परिषद ऊना द्वारा अवधि 4/2012 से 3/2015 तक प्राप्त शराब कर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया कि अंकेक्षण अवधि में कुल कितनी बोतलें शराब बेची गई इस बारे मामला सम्बन्धित विभाग से शीघ्र उठाया जाए तथा उक्त अवधियों के लिए शराब कर की वसूली शीघ्र करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9.6 नवनिर्मित दुकानों एवं हाल को किराए पर न देने के फलस्वरूप राशि ₹22.54 लाख के राजस्व की हानि

नगर परिषद ऊना द्वारा पार्किंग एण्ड शापिंग कम्पलैक्स (अरविन्द मार्ग) में दो हाल जिनका किराया ₹32,500 तथा ₹26,500 मास 4/2012 से प्रतिमास तथा पार्क के नजदीक दुकान संख्या 3 जिसका किराया मास 2/2013 से ₹5,000 प्रतिमाह निर्धारित किया गया परन्तु उक्त को किराए पर न देने के कारण परिषद को दिनांक 31.3.2015 तक ₹22,54,000 की वित्तीय हानि हुई है इन हालों तथा दुकानों को खाली रखने के कारणों से अवगत करवाने बारे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 204/2015, दिनांक 30.11.2015 तथा अनुस्मारक संख्या 126 दिनांक 9.12.2015 के द्वारा अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक इस बारे कोई भी प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः नगर परिषद ऊना को हुई वित्तीय हानि की जिम्मेवारी निर्धारित की जाए तथा इन हालों तथा दुकानों को नियमानुसार शीघ्र किराए पर दिया जाए।

अवधि	मास	किराया (प्रति मास)	विवरण	राशि
4/2012 से 3/2015	(i) 36 मास	32,500	(i) हॉल	11,70,000
	(ii) 36 मास	26,500	(ii) हॉल	9,54,000
2/2013 से 3/2015	26 मास	5,000	दुकान	1,30,000
			योग	**₹22,54,000**

9.7 बिल्डिंग एपलिकेशन फीस की राशि ₹194 की कम वसूली

श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह से वसूल की गई बिल्डिंग एपलीकेशन फीस की जाँच करने पर पाया गया कि 129.06 वर्ग मीटर के लिए ₹2.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से बिल्डिंग एपलीकेशन फीस ₹322.65 वसूल की जानी थी परन्तु उनसे रसीद संख्या 63/47,

दिनांक 7.3.2014 के द्वारा ₹129 ही वसूले गए। इस प्रकार उनसे बिल्डिंग एप्लीकेशन फीस की राशि ₹194 (₹323 – ₹129) कम वसूल की गई। अतः ₹194 की वसूली सुनिश्चित की जाए।

10 टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग शुल्क की राशि ₹86.46 लाख को राजकोष में जमा न करवाने बारे

टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्लयू(बी एण्ड आर)(बी)24(1)91–1, दिनांक 31.7.1997 के द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना को हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट 1997 की धारा 30, 30(ए), 31, 34, 38, 39(ए), 39(बी) तथा 81 में प्रदत्त शक्तियां प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः हिम/टी0पी0/पी0पी0/ (पी0Reg.) delegation of Powers-खण्ड–iv-7447-60, दिनांक 27.11.2000 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग नियम 1978 के नियम 12(2) के अनुसार एकत्रित शुल्क चालान के द्वारा राजकोष में जमा करवाई जानी थी। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 216/2015, दिनांक 24.12.2015 के द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक एकत्रित शुल्क का विवरण उपलब्ध करवाने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कार्यकारी अधिकारी द्वारा इस बारे कोई भी सूचना अंकेक्षण मे उपलब्ध नहीं करवाई चर्चा में बताया गया कि एकत्रित शुल्क की राशि का रख–रखाव अलग से निम्न खातों में जमा करवा कर किया गया था।

1)	सिन्डीकेट बैंक ऊना के सावधि खाता संख्या 597939, अवधि 18.6.2014 से 18.6.2015 तक में जमा राशि	53,96,329.54
2)	सिन्डीकेट बैंक ऊना शाखा के बचत खाता संख्या 89032210000050 में जमा राशि	56,466.05
3)	सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (ऊना) के बचत खाता संख्या 1420108975 में जमा राशि	31,93,658.00
	योग	**₹86,46,453.59**

नगर परिषद ऊना द्वारा हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग एक्ट 1978 के नियम 12(2) के अनुसार एकत्रित शुल्क को नियमानुसार राजकोष में जमा करवाने की अपेक्षा अपने खाते में जमा करवाया गया है। अतः इस प्रकार एकत्रित की गई राशि ₹86,46,454 को चालान द्वारा शीघ्र राजकोष में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

11 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹7,250 राजकोष मे जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार के Social Jusitic and Empowerment Department की अधिसूचना संख्याः WLF-A(3)1/97, दिनांक 17.12.2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की

राशि को चालान द्वारा राजकोष में जमा करवया जाना था। नगर परिषद ऊना द्वारा दिनांक 31.3. 2015 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹7,250 वसूल की थी जिसे नगर परिषद द्वारा नियमानुसार सरकारी कोष में जमा नहीं किया गया था। अतः एकत्रित विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि अविलम्ब राजकोष में जमा करवाई जाए।

12 अर्जित अवकाश को वास्तविक शेष से अधिक दर्शाना

सेवा पंजिकाओं में अर्जित अवकाश खातों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के अवकाश खातों में वास्तविक शेष की अपेक्षा अधिक शेष दर्शाया गया था। अतः अवकाश खातों मे आवश्यक संशोधन किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम	वास्तविक अर्जित अवकाश शेष	दर्शाया गया अर्जित अवकाश शेष	अधिक दर्शाया गया अर्जित अवकाश
1.	श्रीमती शशीबाला (C.O.)	193½	208½	15 दिन
2.	श्री सतपाल, माली	व्यतीत अर्जित अवकाश दिनांक 24.7.2014 से 1.8.2014 कुल 9 दिन डेबिट नहीं किया है।		
3.	श्री हरजीत सिंह, मिस्त्री	199	202	3 दिन
4.	श्री बीरबल, मिस्त्री	79½	81½	2 दिन
5.	श्रीमती कमलादेवी, सफाई कर्मचारी	220	240	20 दिन
6.	श्री कन्वल चन्द, सफाई कर्मचारी	136	161	25 दिन
7.	श्री विजय कुमार, सफाई कर्मचारी	165	167	2 दिन

12.1 पैन्शन एण्ड ग्रेच्युटी निधि में राशि ₹10.65 लाख का अनियमित हस्तांतरण करना

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्याः UDH(B)(10)2/2000-16394-16442, दिनांक 20.12.2013 के द्वारा जारी आदेशों के अनुसार "Pension and Gratuity fund will be contributed by the Municipalities @ 12% and 5% of the maximum of the pay scales of all the created/sanctioned post irrespective of the fact whether they are filled up or are vacant." परन्तु जांच में पाया गया कि उपरोक्त 12% तथा 5% राशि के अतिरिक्त निम्नानुसार राशि ₹10.65 को पैन्शन एण्ड ग्रेच्यूटी निधि में हस्तांतरित किया गया जोकि उक्त दिशा निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अतः सक्षम

अधिकारी की स्वीकृति लेकर निम्नानुसार हस्तांतरित राशि का नियमितिकरण करवाया जाए अन्यथा राशि की वसूली पैन्शन व ग्रेच्यूटी निधि से करने के उपरान्त पालिका निधि में जमा करवाई जाए।

वाऊचर संख्या	मास	हस्तांतरित राशि
284	1/2014	60,000
197	11/2014	3,32,000
200	10/2013	1,60,000
168	9/2013	60,000
260	12/2013	99,500
231	11/2013	58,500
21	5/2014	60,000
244	12/2014	1,25,000
174	10/2014	1,10,000
		योग ₹10,65,000

13 ₹6156 का अधिक एवं गलत भुगतान

वाऊचर संख्याः	54, दिनांक 23.5.2012
माप पुस्तिका संख्याः	104, पेज 50 से 57
कार्य का नाम	व्यवसायिक परिसर व पार्किंग का निर्माण,
उपशीर्ष	इलैक्ट्रीकल कार्य
संविदाकार का नाम	रोहिनी इंटरप्राईज़िज
आबंटन प्रतिशतता	अनुसूची दर से 2.54 % नीचे

(i) उपरोक्त कार्य की जाँच करने पर पाया गया कि अतिरिक्त मदों की दर अधिक प्रदान करने के कारण उक्त कार्य में संविदाकार को प्रथम एवं अन्तिम बिल में ₹6156 का अधिक भुगतान किया गया। अतः अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित संविदाकार अथवा उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी सुनिश्चित की जाए। अधिक भुगतान का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :–

क्र0 सं0	मद का विवरण	अनुसूची दर के अनुसार	देय दर	दी गई दर	अन्तर	मात्रा	अधिक भुगतान

		दर					
1	Reviding & Fixing CFL ceiling lights 2x18 walts	1170	1140	1800	660	8	5280
2	Providing & fixing CFL lights 2x36 walts	2385	2324	3200	876	1	876

कुल योग ₹6156

(ii) उपरोक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नही की गई थी। अतः तकनीकी स्वीकृति के बगैर कार्य निष्पादित करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी सुनिश्चित की जाए।

13.1 संविदाकार को ₹8243 का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्याः	53, मास 5/2012, राशि ₹21,41,812
निर्माण कार्य का नाम	C/o Parking and shopping Complex Arvind Marg Una.
संविदाकार का नाम	श्री गगन ओहरी
आबंटन पत्र संख्या	1458/NIT-118, दिनांक 20.10.2010
बिल	पांचवां एवं अन्तिम बिल
मापन पुस्तिका एवं पृ0 सं0	104, पृष्ठ 1 से 49

निर्माण कार्य के पांचवें एवं अन्तिम बिल की मद संख्याः 29, "P&L 20mm thick cement plaster in 1:5 and curing complete" की रिकॉर्ड प्रविष्टि जो मापन पुस्तिका 104 के पृष्ठ 11 पर दर्ज थी की जांच करने पर पाया गया कि सीमेन्ट प्लास्टर की मद से शटरज़ के क्षेत्रफल की कटौती 81.63 m^2 की अपेक्षा 8.16 m^2 करने के फलस्वरूप 73.43 m^2 (81.63 – 8.16) के लिए ₹172.20 प्रति वर्ग मीटर की दर से राशि ₹8243 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए

वास्तविक गणना	ली गई मात्रा	अन्तर	दर	राशि
28.15 x 2.90 = 81.63 m^2	8.16 m^2	73.47 m^2	112.20	8243

13.2 60 बैग सिमेन्ट कम प्राप्त करना

हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन से नगर परिषद ऊना द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2012 से 3/2015 तक 3420 बैग सीमेन्ट क्रय करने के लिए अग्रिम राशि का भुगतान किया परन्तु नगर परिषद द्वारा 3360 सीमेन्ट बैग की ही प्राप्ति की गई तथा 60 बैग सीमेन्ट कम प्राप्त किए गए। यह मामला अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 203/2015, दिनांक 27.11.2015 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यान मे कार्रवाई हेतु लाया गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रति उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः हिमाचल प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कारपोरेशन से कम प्राप्त किए गए सीमेन्ट बैग 60 की प्राप्ति शीघ्र की जाए जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

दिनांक	बैग	अग्रिम राशि भुगतान	दिनांक	सीमेंन्ट बैग की प्राप्ति
2.5.2012	900	1,87,880	11.5.2012	360
			12.5.2012	360
			14.5.2012	180
14.6.2012	360	75,152		
2.7.2012	540	1,12,728	3.7.2012	300
			13.7.2012	180
			13.7.2012	180
			14.7.2012	180
7.9.2012	360	75,152	30.9.2012	180
1.11.2012	360		9.11.2012	540
30.7.2013	180	38,190	27.8.2013	180
10.1.2014	180	34,385	12.3.2014	180
23.4.2014	180	34,385	20.5.2014	180
13.8.2014	180	37,588	29.8.2014	180
5.12.2014	180	37,588	1.1.2015	180
योग	**3420**			**योग 3360**

13.3 आर0सी0सी0 पाईप का अनावश्यक क्रय

वाऊचर संख्याः 47, दिनांक 9.5.2012 के अन्तर्गत मैसर्ज़ बंसल टयूब मैहतपुर से 250mm ब्यास की 10 आर0सी0सी0 पाईप का क्रय राशि ₹7350 के लिए किया गया है, जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्याः 103, पेज 78 पर दर्ज थी। लेकिन क्रय की गई उक्त आर0सी0सी0 पाईप का स्टॉक प्रविष्टि न तो स्टॉक रजिस्टर अथवा एम0ए0एस0 में दर्ज की गई है व न ही इन पाईपों को प्रयोग मे लाया गया था। अतः इन पाईपों की स्टॉक प्रविष्टि न करने व प्रयोग में न

लाने का कारण स्पष्ट किया जाए व भौतिक सत्यापन उपरान्त उक्त पाईपों की स्टॉक प्रविष्टि की जानी व प्रयोग मे लाया जाना अब सुनिश्चित किया जाए, ताकि 3 वर्ष पूर्व क्रय पाईपों को उपयोग सम्भव हो सके।

13.4 स्वयं वित्त योजना के अधीन नवनिर्मित 16 दुकानों के निर्माण स्थल के मालिकाना हक बारे

स्वयं वित्त योजना के अधीन नवनिर्मित 16 दुकानों के निर्माण स्थल पर मालिकाना हक वन विभाग का है तथा कब्जा भी वन विभाग का है। अतः बिना मालिकाना हक स्थल पर निर्माण निष्पादित करवाने बारे औचित्य लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी उचित कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

13.5 अंकेक्षण अवधि के दौरान की गई enquiries की report बारे

नगर परिषद ऊना मे निर्माण कार्यों तथा कर्मचारियों की विभागीय enquiries की सूचना उपलबध करवाने बारे कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना को अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 217/2015 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा अनुरोध किया गया। परन्तु enquiries की सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा चर्चा में बताया गया कि enquiries अभी चल रही है। अतः enquiries की रिपोर्ट आने पर तदानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए।

13.6 अभिलेख उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण में जाँच हेतु निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया गया जिसकी मांग अनुभाग अधिकारी के पत्र क्रमांक 220/2015, दिनांक 18.12.2015 द्वारा भी की गई थी। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

वाऊचर संख्या	मास	राशि	अभिलेख
289	1/2014	15,241	Tender/Agreement of Sh. Suresh Saini Contractor for providing of 2nos additional Safai Karamcharis.
301	1/2014	39,588	Tender/Agreement of Sh. Sanjeev Kumar Gaur contractor for segregation
204	11/2014	30,483	Tender/Agreement of Sh. Suresh Saini Contractor for providing of 4 nos Additional safai karamchari.
213	11/2014	48,099	Tender/Agreement of Smt. Bimla Devi W/o Late Sh. Baldev Chand for Loading/Unloading of garbege of town.

235 11/2014 30,100 Stock Register for purchase of Computer & accessories from M/s Kertikey communication Una.

14 प्रत्यक्ष सत्यापन

नगर परिषद ऊना द्वारा क्रय की गई भण्डार की वस्तुओं का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया था। अतः प्रत्यक्ष सत्यापन करके अनुपयोगी वस्तुओं का निपटारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिक्ताओं को पूर्ण करते हुए किया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

16 निष्कर्ष :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः–V(18)-Fin(LA)-Vol-V-1935-1936 दिनांकः01.04.2016 शिमला–09

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2. सचिव, नगर परिषद ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–''क'' पैरा 1(ग) के सन्दर्भ में

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :–

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 03/1990

1)	पैरा 4(घ)	अनिर्णीत
2)	पैरा 4(ज)	अनिर्णीत
3)	पैरा 5(ख)	अनिर्णीत
4)	पैरा 5(ड़)	अनिर्णीत
5)	पैरा 11(1)	अनिर्णीत
6)	पैरा 19(ख)	अनिर्णीत
7)	पैरा 20(ग)	अनिर्णीत
8)	पैरा 21(ड़)	आंशित निर्णीत
9)	पैरा 21(च)	अनिर्णीत
10)	पैरा 23(क)	अनिर्णीत
11)	पैरा 23(ख)	अनिर्णीत
12)	पैरा 25(क)	अनिर्णीत
13)	पैरा 25(ख)	अनिर्णीत
14)	पैरा 30(क)	अनिर्णीत
15)	पैरा 30(ख)	अनिर्णीत
16)	पैरा 32(क)	अनिर्णीत
17)	पैरा 32(ख)	अनिर्णीत
18)	पैरा 37	अनिर्णीत
19)	पैरा 50	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1990 से 3/1996

1)	पैरा 3(ख)	अनिर्णीत
2)	पैरा 5(1)(क)	अनिर्णीत
3)	पैरा 5(क)	अनिर्णीत
4)	पैरा 5(1)(ख)	अनिर्णीत
5)	पैरा 5(1)(घ)	अनिर्णीत
6)	पैरा 5(1)(ड़)	अनिर्णीत
7)	पैरा 5(1)(च)	अनिर्णीत

8)	पैरा 5(1)(छ)	अनिर्णीत
9)	पैरा 8(ख)	अनिर्णीत
10)	पैरा 10(ग)	अनिर्णीत
11)	पैरा 10(घ)	अनिर्णीत
12)	पैरा 10(ड़)	अनिर्णीत
13)	पैरा 11	आंशिक निर्णीत
14)	पैरा 12(च, च)	अनिर्णीत
15)	पैरा 13	अनिर्णीत
16)	पैरा 21(ख)	अनिर्णीत
17)	पैरा 21(ग)	अनिर्णीत
18)	पैरा 21(घ)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1996 से 3/2003

1)	पैरा 5	अनिर्णीत
2)	पैरा 6(11)	अनिर्णीत
3)	पैरा 9	अनिर्णीत
4)	पैरा 10	अनिर्णीत
5)	पैरा 13	अनिर्णीत
6)	पैरा 15	अनिर्णीत
7)	पैरा 16	अनिर्णीत
8)	पैरा 18	अनिर्णीत
9)	पैरा 19(11)	अनिर्णीत
10)	पैरा 20	अनिर्णीत
11)	पैरा 22	अनिर्णीत
12)	पैरा 23(i to v)	अनिर्णीत
13)	पैरा 24	अनिर्णीत
14)	पैरा 25	अनिर्णीत
15)	पैरा 26(i to iii)	अनिर्णीत
16)	पैरा 27(i to viii)	अनिर्णीत
17)	पैरा 28	अनिर्णीत
18)	पैरा 29(i to iv)	अनिर्णीत

19)	पैरा 30(i to iii)	अनिर्णीत
20)	पैरा 31(i व ii)	अनिर्णीत
21)	पैरा 32(i व ii)	अनिर्णीत
22)	पैरा 33(1)(i, ii, iii)	अनिर्णीत
23)	पैरा 33(1)(iv)	अनिर्णीत
24)	पैरा 33(1)(v)(i)	अनिर्णीत
25)	पैरा 33(1)(v)(3)	अनिर्णीत
26)	पैरा 33(4)	अनिर्णीत
27)	पैरा 33(5)	अनिर्णीत
28)	पैरा 34(i)	अनिर्णीत
29)	पैरा 34(ii)	अनिर्णीत
30)	पैरा 34(iii)	अनिर्णीत
31)	पैरा 34(iv)	अनिर्णीत
32)	पैरा 35(3)	अनिर्णीत
33)	पैरा 35(4)	अनिर्णीत
34)	पैरा 36(i)	अनिर्णीत
35)	पैरा 36(ii)	अनिर्णीत
36)	पैरा 37	अनिर्णीत
37)	पैरा 38	अनिर्णीत
38)	पैरा 39(i)	अनिर्णीत
39)	पैरा 39(ii)	अनिर्णीत
40)	पैरा 40	अनिर्णीत
41)	पैरा 41	अनिर्णीत
42)	पैरा 45	अनिर्णीत
43)	पैरा 51	अनिर्णीत
44)	पैरा 52	अनिर्णीत
45)	पैरा 53	अनिर्णीत
46)	पैरा 61(iv)(5)	अनिर्णीत
47)	पैरा 67(ii)(क)	अनिर्णीत
48)	पैरा 67(ii)(ख)(iii)	अनिर्णीत

49) पैरा 67(ii)(ख)(iv) अनिर्णीत

50) पैरा 68 अनिर्णीत

51) पैरा 70 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2007

1) पैरा 1 अनिर्णीत

2) पैरा 2(बी)(i) अनिर्णीत

3) पैरा 2(बी)(ii) अनिर्णीत

4) पैरा 3(i) अनिर्णीत

5) पैरा 3(ii) अनिर्णीत

6) पैरा 4(सी)(i) अनिर्णीत

7) पैरा 4(सी)(ii) अनिर्णीत

8) पैरा 4(सी)(iii) अनिर्णीत

9) पैरा 4(सी)(iv) अनिर्णीत

10) पैरा 4(सी)(v) अनिर्णीत

11) पैरा 4(सी)(vi) अनिर्णीत

12) पैरा 4(सी)(vii) अनिर्णीत

13) पैरा 4(सी)(viii) अनिर्णीत

14) पैरा 4(सी)(ix) अनिर्णीत

15) पैरा 4(सी)(x) अनिर्णीत

16) पैरा 4(सी)(xi) अनिर्णीत

17) पैरा 4(सी)(xiii) अनिर्णीत

18) पैरा 4(सी)(xvi) अनिर्णीत

19) पैरा 5(बी)(i) अनिर्णीत

20) पैरा 5(बी)(ii) अनिर्णीत

21) पैरा 5(बी)(iii) अनिर्णीत

22) पैरा 5(बी)(iv) अनिर्णीत

23) पैरा 6 अनिर्णीत

24) पैरा 7(1) अनिर्णीत

25) पैरा 7(1)(क) अनिर्णीत

26) पैरा 7(1)(ख) अनिर्णीत

27)	पैरा 7(iv)	अनिर्णीत
28)	पैरा 7(v)(क)	अनिर्णीत
29)	पैरा 7(vi)	अनिर्णीत
30)	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत
31)	पैरा 7(vii)(क)	अनिर्णीत
32)	पैरा 7(vii)(ख)	अनिर्णीत
33)	पैरा 7(x)	अनिर्णीत
34)	पैरा 7(xi)	अनिर्णीत
35)	पैरा 7(xii)	अनिर्णीत
36)	पैरा 8(i)	अनिर्णीत
37)	पैरा 8(ii)(क)	अनिर्णीत
38)	पैरा 8(ii)(ख)	अनिर्णीत
39)	पैरा 8(ii)(ग)	अनिर्णीत
40)	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
41)	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
42)	पैरा 9(iii)	अनिर्णीत
43)	पैरा 9(iv)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1)	पैरा 3	अनिर्णीत
2)	पैरा 6(2)	अनिर्णीत
3)	पैरा 6(3)	अनिर्णीत
4)	पैरा 6(4)	अनिर्णीत
5)	पैरा 6(5)	अनिर्णीत
6)	पैरा 6(6)	अनिर्णीत
7)	पैरा 6(7)	अनिर्णीत
8)	पैरा 6(8)	अनिर्णीत
9)	पैरा 6(9)	अनिर्णीत
10)	पैरा 6(11)	अनिर्णीत
11)	पैरा 6(12)	अनिर्णीत
12)	पैरा 6(13)	अनिर्णीत

13)	पैरा 6(14)	अनिर्णीत
14)	पैरा 6(15)	अनिर्णीत
15)	पैरा 6(16)	अनिर्णीत
16)	पैरा 6(17)	अनिर्णीत
17)	पैरा 6(18)	अनिर्णीत
18)	पैरा 7(3)	अनिर्णीत
19)	पैरा 7(5)	अनिर्णीत
20)	पैरा 7(8)	अनिर्णीत
21)	पैरा 7(9)	अनिर्णीत
22)	पैरा 7(10)	अनिर्णीत
23)	पैरा 7(12)	अनिर्णीत
24)	पैरा 7(13)	अनिर्णीत
25)	पैरा 7(14)	अनिर्णीत
26)	पैरा 7(15)	अनिर्णीत
27)	पैरा 7(16)	अनिर्णीत
28)	पैरा 7(17)	अनिर्णीत
29)	पैरा 7(18)	अनिर्णीत
30)	पैरा 7(19)	अनिर्णीत
31)	पैरा 7(20)(क,ख,ग)	अनिर्णीत
32)	पैरा 7(22)(क,ख,ग,घ)	अनिर्णीत
33)	पैरा 8(क,ख,ग,घ,ड़)	अनिर्णीत
34)	पैरा 8(2)(क,ख)	अनिर्णीत
35)	पैरा 8(3)	अनिर्णीत
36)	पैरा 8(4)	अनिर्णीत
37)	पैरा 8(5)	अनिर्णीत
38)	पैरा 8(6)	अनिर्णीत
39)	पैरा 8(8)	अनिर्णीत
40)	पैरा 9(1, 2, 3)	अनिर्णीत
41)	पैरा 10	अनिर्णीत
42)	पैरा 11(1, 2)	अनिर्णीत

43)	पैरा 12	अनिर्णीत	

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2010 से 3/2012

1)	पैरा 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति के दृष्टिगत)
2)	पैरा 4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 के पैरा संख्या 4 में दर्शाई गई)
3)	पैरा 5(i)(ii)	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 के पैरा संख्याः 5.2 में दर्शाई गई)
4)	पैरा 5(iii)	अनिर्णीत	
5)	पैरा 5(iv)	अनिर्णीत	
6)	पैरा 5(v)	अनिर्णीत	
7)	पैरा 5(vi)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 के पैरा संख्या 7 मे स्थिति दर्शाई गई)
8)	पैरा 6.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 में पुनः प्रारूपित)
9)	पैरा 6.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 में पुनः प्रारूपित)
10)	पैरा 6.2.1	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 में पुनः प्रारूपित)
11)	पैरा 6.2.2	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2015 में पुनः प्रारूपित)
12)	पैरा 6.3.1	अनिर्णीत	
13)	पैरा 6.3.2	अनिर्णीत	
14)	पैरा 6.4	अनिर्णीत	
15)	पैरा 6.4.1	अनिर्णीत	
16)	पैरा 6.4.2	अनिर्णीत	
17)	पैरा 6.4.3	अनिर्णीत	
18)	पैरा 6.5	अनिर्णीत	
19)	पैरा 6.6	अनिर्णीत	

20)	पैरा 7.1	निर्णीत	(₹24,406 की वसूली कर्मचारी के ग्रेच्यूटी भुगतान के बिल/वा0सं0 10 मास 9/2012 से कर ली गई है)
21)	पैरा 7.2	अनिर्णीत	
22)	पैरा 7.3	अनिर्णीत	
23)	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
24)	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
25)	पैरा 8.1.1	अनिर्णीत	
26)	पैरा 8.1.2	अनिर्णीत	
27)	पैरा 8.1.3	अनिर्णीत	
28)	पैरा 8.1.4	अनिर्णीत	
29)	पैरा 8.1.5	अनिर्णीत	
30)	पैरा 8.1.6	अनिर्णीत	
31)	पैरा 8.1.7	अनिर्णीत	
32)	पैरा 8.1.8	अनिर्णीत	
33)	पैरा 8.1.9	अनिर्णीत	
34)	पैरा 8.2	अनिर्णीत	
35)	पैरा 8.2.1	अनिर्णीत	
36)	पैरा 8.2.2	अनिर्णीत	
37)	पैरा 8.3	अनिर्णीत	
38)	पैरा 8.3.1	अनिर्णीत	
39)	पैरा 8.3.2	अनिर्णीत	
40)	पैरा 8.4	अनिर्णीत	
41)	पैरा 8.5	अनिर्णीत	
42)	पैरा 8.6	अनिर्णीत	
43)	पैरा 8.7	अनिर्णीत	
44)	पैरा 8.8	अनिर्णीत	
45)	पैरा 8.9	अनिर्णीत	
46)	पैरा 9	अनिर्णीत	
47)	पैरा 9.1	अनिर्णीत	
48)	पैरा 10	अनिर्णीत	

49)	पैरा 11	अनिर्णीत
50)	पैरा 12	अनिर्णीत
51)	पैरा 13	अनिर्णीत
52)	पैरा 14	अनिर्णीत
53)	पैरा 15	अनिर्णीत
54)	पैरा 16	अनिर्णीत
55)	पैरा 17	अनिर्णीत